न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– प्रार्थना पत्र संख्या 75/2019

निर्णय दिनांक :– 6.12.19

भागीरथ पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल निवासी गोरीसर, तहसील रतनगढ, जिला चूरू ।

... प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती किशनादेवी पत्नी जगुराम जाति मेघवाल निवासी गोरीसर त. रतनगढ
2. भंवरलाल पुत्र डालूराम जाति मेघवाल निवासी गोरीसर तहसील रतनगढ
3. श्रीमती मूलीदेवी पत्नी डालूराम जाति मेघवाल निवासी गौरीसर तहसील रतनगढ
4. श्रीमती मीरादेवी पत्नी साजनराम जाति मेघवाल निवासी गौरीसर तह. रतनगढ
5. रामचन्द्र पुत्र इन्द्रचन्द जाति मेघवाल निवासी गोरीसर तहसील रतनगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू
7. उप पजींयक रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री रामचन्द्र ज्याणी अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 6.11.2019 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षैप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से एक दावा उक्त अनुवानी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें सफलता मिलने की पुरी सभांवना है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत ख.नं. 14 तादादी 5.0333 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गोरीसर में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 01 के पति जगुराम पुत्र डालूराम जाति मेघवाल के 49/597

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

हिस्सा भूमि में से 01 बीघा भूमि यानि 20 विश्वा भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 04.09.2014 को खरीद की थी। प्रार्थी ने खरीदशुदा भूमि पर उसी दिन नाप जोख करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया था। अप्रार्थी सं. 1 के पति जगुराम का स्वर्गवास हो चुका है। उसके विधिक वारिसानों में एकमात्र उसकी पत्नि किशनादेवी है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया धमकीयां दी जा रही है कि उक्त भूमि का इंतकाल मेरे पक्ष में दर्ज करवाकर किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देगी।

3. प्रार्थी ने ऐसा करने से मना किया और विक्रय पत्र निष्पादित करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं. 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और दिनांक 3.11.2019 को एक पिक अप में कई लोगों के साथ सवार होकर अप्रार्थीनी आयी और ऐलानिया धमकीयां दी कि आप कब्जा छोड़कर यहां से चले जाओ अन्यथा जान से मार देगें। कब्जा छुड़ा लेगें। प्रार्थी के मना करने पर वह मानने से इन्कार हो गई। दिनांक 4.9.2014 से लेकर आज दिन तक प्रार्थी का खरीदशुदा भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनो सिद्वान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, व अपूर्त्यक्षति के तीनो सिद्वान्त मुझ प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः खेत ख.नं. 14 तादादी 5.0333 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गौरीसर में से 49/597 हिस्सा भूमि में से प्रार्थी को विक्रय की गई 01 बीघा के लिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वो प्रवेश नही करे ना ही किसी प्रकार की दखलन्दाजी देवे ना ही किसी अन्य व्यक्ति को उक्त भूमि विक्रय करें।

4. अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 28.11.2019 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार राज ने दिनांक 3.12.2019 को कोई राज्य हित नही होना जाहिर किया।

5. बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 4.9.2014 को अप्रार्थी सं. 01 के पति जगुराम पुत्र डालूराम जाति मेघवाल के 49/597 हिस्सा भूमि में से 01 बीघा भूमि यानि 20 विश्वा भूमि क्रय की थी। जगूराम का देहान्त हो गया है। जगूराम के वारिसान में एक मात्र उसकी पत्नी किशनादेवी अप्रार्थी सं. 1 है, उसको ईकरारनामा से क्रय की गई भूमि का विक्रय पत्र करवाने का कहा परन्तु वह इन्कार हो गई। अप्रार्थीनी इस भूमि को अन्य अजनबी को विक्रय करने व कब्जा कराने पर उतारू है। इसलिए उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से ख.नं. 14 तादादी 5.0333 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम गोरीसर तहसील रतनगढ संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी ने जगूराम से भूमि क्रय करना बताया है, जिसका देहान्त हो चुका है। वादगत भूमि वर्तमान में भी जगूराम के नाम चली आ रही है। विधिवत उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

हुआ है। प्रार्थी ने जरिये पजीकृत दस्तावेज के भूमि कय नही की है। बिना पंजीकृत विकय पत्रों के आधार पर किसी भी अचल संपति का हस्तांतरण विधि मान्य नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी वादगत भूमि में रेकार्डेड हिस्सेदार भी अकिंत नहीं है इसलिए रेकार्डेड खातेदारों के विरूद्व ईकरारनामा के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत नहीं होता है। रेकार्डेड खातेदार नहीं होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्त्य क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम बाबत खेत ख.नं. 14 तादादी 5.0333 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गोरीसर तहसील रतनगढ खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 6.12.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

Saini

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.02 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: